न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /2016 पुनःरीक्षण

निग – 1465 – PBR-16

(5)

श्री एस० एल० चारद अभि० द्वारा उज्जैन केम्प पर 31-5-16 को प्रस्तुत

CF 24-6-16 केम्प

जगन्नाथ पिता दुलीचंद माली निवासी एवं कृषक ग्राम नागझरी दातरवा तह. बड़नगर ....आवेदक

विरूद्ध

आबिद कुरेशी पिता रशीद कुरेशी जाति मुसलमान निवासी बड़नगर जिला उज्जैन ....अनावेदक

पुनःरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत 50 भू.रा.सं.

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तह. बड़नगर द्वारा प्रकरण क्रं. – 31अ12/2016 सीमांकन दिनांक 07.04.2016 से क्षुब्ध होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित सविनय पेश है–

01. यह कि, आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 450/2 एवं 451/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 आरे भूमि पर आवेदक वर्ष 1995 से काबिज चला आ रहा है और आवेदक का उपरोक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। आवेदक का राजस्व रिकार्ड मे कॉलम नं. 12 मे भी नाम कब्जेदार के रूप मे अंकित है, लेकिन बिना किसी स्वत्व एवं अधिकार के उक्त भूमि का अंतरण होने से आवेदक ने बिना कब्जेरहित विक्रय पत्र का शून्यवत किये जाने हेतु एक वाद स्वत्व एवं निषेधाज्ञा का न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 बड़नगर के समक्ष प्रकरण क्रं. – 47ए/2015 "जगन्नाथ वि. आबिद आदि" के नाम से प्रस्तुत किया है, जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र पर विचार होना है। उक्त प्रकरण विचाराधीन है तथा अनावेदक ने, जो नामांतरण अपने नाम का कराया है, उस आदेश के विरूद्ध भी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित है।

02. यह कि, अनावेदक द्वारा बिना स्वत्व एवं अधिकार के सीमांकन का आदेश आवेदक की भूमि का करा लिया, जिसकी जानकारी आवेदक को होने पर आवेदक ने राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 को दिनांक 07.04.16 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि मे बरसीम, चना, मक्का एवं प्याज की फसल बोई हुई होना तथा मौके पर खड़ी होना तथा यह फसल आवेदक के कब्जे मे रही होने का उल्लेख किया था और उक्त फसल का इंद्राज पंचनामे मे अंकित होना था, जो राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक के प्रभाव मे पंचनामा एवं प्रतिवेदन मे उल्लेख नही किया गया। इस कारण सीमांकन की यह कार्यवाही पूर्णतः विधि के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है। उक्त सीमांकन दिनांक 07.04.16 तथा

जगन्नाथ / आबीद कुरैशी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(18)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R / 1765 / PBR / 16 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार नागदा के प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/16 में पारित आदेश दिनांक 7-4-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14-10-19 को कलेक्टर उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	